

**प्रेस नोट दिनांक- 28.12.2024**

थाना महेशगंज पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना महेशगंज के उ०नि० अंशू सिंह सेंगर मय हमराह कां० सुनील कुमार देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, मु०अ०सं० 480/2008 धारा 307 भादवि थाना मऊआइमा जनपद प्रयागराज से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त लाल साहब सिंह पुत्र बूटी सिंह निवासी थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

लाल साहब सिंह पुत्र बूटी सिंह निवासी थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ०नि० अंशू सिंह सेंगर मय हमराह कां० सुनील कुमार थाना महेशगंज जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक- 28.12.2024**

**थाना बाघराय, जनपद प्रतापगढ़**

थाना बाघराय पुलिस द्वारा 01 वारण्टी अभियुक्त गिरफ्तार-

पुलिस अधीक्षक डॉ० अनिल कुमार द्वारा अपराधिक क्रिया कलापों में संलिप्त अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में थाना बाघराय के उ०नि० देवी दयाल कश्यप मय हमराह कां० संदीप देखभाल क्षेत्र/तलाश वांछित वारण्टी अभियुक्त, दबिश के दौरान, एसटी नम्बर 195/2012 अ०सं० 253/2011 धारा 323, 325, 504 भादवि व 3(1)10 एससी/एसटी एक्ट थाना बाघराय से संबंधित 01 वारण्टी अभियुक्त मुन्ना सिंह पुत्र बबऊ सिंह उर्फ इन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम सोती का पुरवा पचमहुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ को उसके घर के पास से गिरफ्तार किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. मुन्ना सिंह पुत्र बबऊ सिंह उर्फ इन्द्र बहादुर सिंह निवासी ग्राम सोती का पुरवा पचमहुआ थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम-

उ0नि0 देवी दयाल कश्यप मय हमराह कां0 संदीप थाना बाघराय जनपद प्रतापगढ़।

**प्रेस नोट दिनांक-28.12.2024**

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डा0 अनिल कुमार प्रतापगढ़ के निर्देशन व अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्री दुर्गेश कुमार सिंह के मार्ग दर्शन व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी व प्रभारी निरीक्षक अवन कुमार दीक्षित के नेतृत्व में अपराध एवं अपराधियों की रोकथाम पर अंकुश लगाने हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में आज दिनांक 28.12.2024 को दौरान चैकिंग, वांछित वारंटी गिरफ्तारी अभियान के अन्तर्गत 01 नफर वांछित अभियुक्त राजाबाबू चौहान पुत्र छेदी सिंह चौहान निवासी ग्राम रखहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र लगभग 19 वर्ष सम्बन्धित धारा 87,137(2),65(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)5 SC/ ST अधिनियम को गिरफ्तार किया गया ।

घटना का संक्षिप्त विवरण- आज दि0 28.12.24 को मुखबिर की खास सूचना पर रखहा बाजार कन्धई मार्ग तिराहे से एक नफर 01 नफर वांछित अभियुक्त राजाबाबू चौहान पुत्र छेदी सिंह चौहान निवासी ग्राम रखहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष सम्बन्धित धारा 87,137(2),65(1) बीएनएस व 5J(2)/6 पॉक्सो एक्ट व धारा 3(2)5 SC/ ST अधिनियम को गिरफ्तार किया गया ।

**गिरफ्तारी का विवरण-**

उ0नि0 रज्जन राव मय हमराह हे0का0 राजेश प्रसाद द्वारा अभियुक्त राजाबाबू उपरोक्त को रखहा बाजार कन्धई मार्ग तिराहे से आज दिनांक 28.12.2024 को गिरफ्तार किया गया।

**गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-**

राजाबाबू चौहान पुत्र छेदी सिंह चौहान निवासी ग्राम रखहा थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ उम्र 19 वर्ष

**गिरफ्तार करने वाले पुलिस पार्टी का नाम-**

1.उ०नि० रज्जन राव

2.हे०का० राजेश प्रसाद

प्रेस नोट दिनांक- 28.12.2024

थाना आसपुर देवसरा, जनपद प्रतापगढ़

- प्रतापगढ़ पुलिस द्वारा अपराध व अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही जारी-
- गोवध अधिनियम के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त गिरफ्तार
- थाना आसपुर देवसरा पुलिस द्वारा अभियुक्त को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के दाउदपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया-
- थाना आसपुर देवसरा के गोवध अधिनियम के अभियोग से मु०अ०सं० 02/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व मु०अ०सं० 217/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व 429 भादवि एवं मु०अ०सं० 227/21 धारा 147, 148, 149, 307, 120बी भादवि व धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम में वांछित था।
- 03 वर्षों से फरार थाना आसपुर देवसरा के 03 मुकदमों में वांछित अत्रतजनपदीय शातिर अभियुक्त थाना आसपुर देवसरा पुलिस की गिरफ्त में

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ डॉ० अनिल कुमार द्वारा अभियुक्त वांछित अपराधी की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के अंतर्गत अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री दुर्गेश कुमार सिंह एवं क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार रघुवंशी के कुशल पर्यवेक्षण में थाना प्रभारी उ०नि० श्री संतोष कुमार सिंह के नेतृत्व में उ०नि० राजन कुमार बिन्द मय हमराह, कां० अजीत चौहान द्वारा मुखबिर की सूचना पर थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु०अ०सं० 02/2021 धारा 3/5ए/5बी/8 गोवध निवारण अधिनियम व धारा 11 पशु क्रूरता निवारण अधिनियम व धारा 429 भादवि से संबंधित वांछित अभियुक्त जलालुद्दीन पुत्र जहरुद्दीन उर्फ जहीर निवासी ग्राम पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़ को थानाक्षेत्र आसपुर देवसरा के दाउदपुर तिराहा के पास से गिरफ्तार किया गया ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. जलालुद्दीन पुत्र जहरुद्दीन उर्फ जहीर निवासी ग्राम पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद प्रतापगढ़  
।

अभियुक्त जलालुद्दीन पुत्र जहरुद्दीन उर्फ जहीर निवासी ग्राम पूरेदेवजानी थाना कन्धई जनपद  
प्रतापगढ़ का आपराधिक इतिहास ।

1. मु0अ0सं0 158/16 धारा 147, 148, 149, 504, 506 भादवि थाना कन्धई प्रतापगढ़

2. मु0अ0सं0 208/20 धारा 323, 504, 506 थाना कन्धई प्रतापगढ़

3. मु0अ0सं0 127/24 धारा 5044, 506 भादवि थाना कन्धई प्रतापगढ़

4. मु0अ0सं0 315/23 धारा 4/5 विस्फोटक पदार्थ अधिनियम थाना कन्धई प्रतापगढ़

5. मु0अ0सं0 248/18 धारा 336, 379, 504 भादवि थाना पट्टी प्रतापगढ़

6. मु0अ0सं0 339/21 धारा 3/8 गोवध निवारण अधिनियम थाना पट्टी प्रतापगढ़

7. मु0अ0सं0 02/21 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम  
थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़

8. मु0अ0सं0 227/21 धारा 120बी, 147, 148, 149, 307 भादवि थाना आसपुर  
देवसरा प्रतापगढ़

9. मु0अ0सं0 217/21 धारा 3/5/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम व  
429 भादवि थाना आसपुर देवसरा प्रतापगढ़

10. मु0अ0सं0 389/20 धारा 3/5ए/8 गोवध निवारण अधिनियम व 11 पशु क्रूरता अधिनियम  
थाना पीपरपुर जनपद अमेठी

11. मु0अ0सं0 28/21 धारा 3/25 आम्स एक्ट थाना पीपरपुर जनपद अमेठी

पुलिस टीम-

उ0नि0 श्री राजन कुमार बिन्द मय हमराह, का0 अजीत चौहान थाना आसपुर देवसरा जनपद  
प्रतापगढ़